मुन्तकिली प्रकरण सं. 61/2018 (RCMS 2018/00115) अनवानी 1. सरजीत सिंह पुत्र जगर सिंह जाति जटसिख निवासी श्यामसिंहवाला जिला हनुमानगढ 2. मलकीत सिंह पुत्र जगर सिंह जाति जटसिख निवासी श्यामसिंहवाला जिला हनुमानगढ बनाम 1. उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर, 2. गुरदेव सिंह पुत्र प्रताप सिंह 3. छिन्द्रपाल कौर पत्नि गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी तामकोट तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.06.2018

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सतविन्द्र सिंह गिल उपस्थित है। प्रार्थी वकील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 87/2017, गुरदेव सिंह आदि बनमा सतवीर सिह आदि अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की ऑर्डर शीट दिनांक 10.07.2013 से 04.06.2018 की प्रतियां पेश की है, जो शामिल की गई। वकील प्रार्थीगण श्री सतविन्द्र सिंह गिल को एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थीगण गुरदेव सिंह द्वारा एक प्रकरण संख्या 87/2013 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अनवानी गुरेदव सिंह आदि बनाम सरजीत सिंह वगैरा का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जो लम्बित है। उनका आगे कथन है कि पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण ने राजनैतिक दबाव बनाया हुआ है और अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में भी कई बार आते जाते देखा गया है और अप्रार्थीगण भी गांव में ऐलानिया कह रहे है कि पीठासीन अधिकारी से उनकी बातचीत हो गई है और फैंसला उनके पक्ष में ही होगा। इसलिए प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से कोई निष्पक्ष न्याय मिलने की आशा नहीं है। अतः प्रकरण को अन्यत्र मुन्तकिल किया जाना चाहिए। **उनका आगे ये भी कथन है कि** पीठासीन अधिकारी मुकद्दमे में अनावश्यक रूचि ले रहे है और दिन प्रतिदिन की सुनवाई हेतु तारीखे दे रहे हैं, जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को उनसे निष्पक्ष रूप से न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

वकील प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डर शीट की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीगण वादी की साक्ष्य दिनांक 28.05.2018 को समाप्त होने पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के साक्ष्य हेतु दिनांक 04.06.2018 निश्चित की गई और दिनांक 04.06.2018 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित उक्त वाद किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई व निस्तारण हेतु मुंतकिल किया जावे।

मैने प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री सतविन्द्र सिंह गिल द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त तर्कों पर मनन किया और उनके द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 87/2013 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अनवानी गुरेदव सिंह आदि बनाम सरजीत सिंह वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण को ऑर्डरशीट अनुसार जो साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिये गये है, उस पर उन्हें अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने अथवा न लेने के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार से कोई आदेश/निर्देश मुंतकिल प्रार्थना पत्र पर नहीं दिये जा सकते। प्रार्थीगण का यह आरोप की पीठासीन अधिकारी दिन प्रतिदिन तारीख पेशी दे रहे हैं यह कोई मुकद्दमा मुंतकिली का आधार नहीं हो सकता। अगर किसी अधिकारी द्वारा किसी प्रकरण में नियमित रूप से बिना किसी विलम्ब के कार्यवाही की रही है तो वह

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

त्वरित न्याय की दृष्टि से उचित है और उसका कोई अन्यथा अर्थ निकालना उचित नहीं होगा।

जहां तक प्रार्थीगण द्वारा अपने मुंतकिली प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीगण का पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव का जो अरोप लगाया गया है वह एक साधारण प्रकृति का है जो कि मुकद्दमा मुन्तकिल का कोई ठोस आधार नहीं बनाता है ऐसा आरोप कभी भी किसी भी समय किसी भी अधिकारी पर लगाया जा सकता है। मुकद्दमा मुन्तकिली के लिए ऐसा कोई ठोस आधार होना चाहिए, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो कि अगर प्रार्थीगण के प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय से मुन्तकिल नहीं किया गया तो उसके साथ घोर अन्याय होगा। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से मुन्तकिल किया जाना उचित हो। इसलिए मुंतकिली प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र एडमिशन के स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर